# वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
# (भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)
## भाग–4

**(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)**

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता, कार्यपालन अभियंता, अति उच्च दाब निर्माण संभाग, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित, कोरबा द्वारा 132 के. व्ही विश्रामपुर से परसा तक पारेषण लाईन निर्माण के लिए (सूरजपुर वन मंडल के परिक्षेत्र सूरजपुर एवं रामानुजनगर अंतर्गत प्रभावित राजस्व वन भूमि क्रमशः 0.250 हे. एवं 15.516 हे. कुल प्रभावित राजस्व वन भूमि 15.766 हे. एवं सरगुजा वन मंडल अंबिकापुर के परिक्षेत्र अंबिकापुर, लखनपुर एवं उदयपुर अंतर्गत प्रभावित राजस्व वन भूमि क्रमशः 1.274 हे., 0.827 हे. एवं 1.518 हे.; कुल प्रभावित राजस्व वन भूमि 3.619 हे.); सकल प्रभावित वन भूमि 19.385 हे. के गैर वानिकी कार्य हेतु प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार वन संरक्षण अधिनियम – 1980 अंतर्गत व्यपर्वतन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांकः 9 /05/2017
स्थानः रायपुर

(आर. के. टम्टा)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
छत्तीसगढ़, रायपुर